राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01415/2023

दिनेश बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुष विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर, राजस्थान।
3. प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय केकरी अजमेर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.05.2023
आदेश की दिनांक : 12.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमीन्द्र दाधीच, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय घटियाली, अजमेर में कार्यरत है। उसका चिकित्सा विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा राजकीय आयुर्वेद औषधालय, गणेती टोंक में स्थानान्तरण किया गया है। परंतु स्थानान्तरण आदेश की पालना में अपीलार्थी को विपक्षीगण द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि माननीय अधिकरण ने तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनेक अपीलों एवं रिट याचिकाओं में यह अभिनिर्धारित किया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेश की पालना बिना किसी भेदभाव के किया जाना आवश्यक है एवं उक्त प्रकरण में अपीलार्थी का आदेश दिनांक 13.01.2023

द्वारा राजकीय आयुर्वेद औषधालय, गणेती टोंक में किया गया है। अपीलार्थी को अपने सेवा काल में दो बार स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी पूर्व में अजमेर में पदस्थापित था जहां से अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर राजकीय एकीकृत महाविद्यालय केकड़ी अजमेर में आदेश दिनांक 21.10.2022 को कार्य व्यवस्था पर रखा गया था। अपीलार्थी को व्याख्याता के वेतनमान का भुगतान नहीं किया गया है और अपीलार्थी व्याख्याता के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। अपीलार्थी के पास अन्य किसी पद का कोई अनुभव नहीं है। अपीलार्थी सिर्फ चिकित्सा अधिकारी के पद पर ही कार्य किया है। ऐसे में उन्हें किसी अन्य पद का अनुभव नहीं था। राजकीय योग महाविद्यालय एवं अन्य अधिकारियों का कहना है कि अपीालार्थी का स्थानान्तरण गणेती जिला टोंक में कर दिया गया है लेकिन आज दिनांक अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त नहीं किया गया है। एवं दो माह से अधिक का समय होने के बाद भी अपीलार्थी को स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.01.2023 की पालना में कार्यमुक्त नहीं किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध, अवैध एंव अनुचित है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी को अपील स्वीकार कर स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) की पालना में कार्यमुक्त करने एवं कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में आदेश पारित किए जाएं।

4. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया, बहस में उन्होंने अपील के आधारों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

5. स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय आयुर्वेद औषधालय घटियाली, अजमेर से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, गणेती टोंक में किया गया है। स्थानान्तरण आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आदेश नियमानुसार अन्य कार्मिक की भांति जिनका स्थानान्तरण आदेश के द्वारा स्थानान्तरण किया गया है उसी तरह अपीलार्थी का नाम जो क्रम संख्या 31 पर अंकित है, का भी नियमानुसार सक्षम प्रधिकारी द्वारा स्थानान्तरण किया गया है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आदेश की पालना न करते हुए अपीलार्थी को नवीन

पद स्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त नहीं किया है जबकि स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी को कार्यमुक्त ना करने की कोई शर्त का भी उल्लेख नहीं किया गया है। स्थानान्तरण/पदस्थापन उपरान्त कार्यमुक्त न किया जाना राजस्थान सेवा नियमों के विपरित है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

6. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.01.2023 की पालना में अपीलार्थी को सेवा नियमों के अनुसार नवीन पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त करें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने के दो सप्ताह में सुनिश्चित करे। यह आदेश भी दिया जाता है कि अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जावे।

7. उपरोक्त अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य